



भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड

मोथरोवाला रोड़, अजबपुरकलां, निकट पी0एन0बी0, देहरादून-248121 E-mail: bcpuk.ddn@gmail.com

दूरभाष : 0135-2677469

पत्रांक 4708-13 भाचिप/सा-18/2024-25

दिनांक 03-08-2024

कार्यालय आदेश

भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड बोर्ड बैठक दिनांक 09.07.2024 के बिन्दु संख्या 02, 03 में लिए गये निर्णय के उपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है, के आलोक निम्नलिखित नियम तत्काल प्रभाव से मान्य/लागू होंगे:-

1. NCISM के आचार एवं पंजीयन विनियम 2023 के बिन्दु संख्या 12(2) के अनुसार किसी अन्य राज्य में पंजीकृत चिकित्सकों का अस्थायी पंजीयन हेतु शुल्क ₹ 4000 नियत किया गया है।
2. NCISM के आचार एवं पंजीयन विनियम 2023 की धारा 07 की उपधारा (7) के अनुसार 70 वर्ष से अधिक आयु के चिकित्सक को पंजीयन के नवीनीकरण के शुल्क में छूट प्रदान की जाती हैं।
3. पंजीकरण से सम्बन्धित निम्नलिखित शुल्क निर्धारण किया जाता हैं।

क्र0स0	विवरण	संशोधित शुल्क
1.	बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एन0वाई0एस0 अस्थायी पंजीकरण (इन्टरशिप) हेतु शुल्क	₹ 3000/-
2.	अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) निर्गत शुल्क	₹ 2000/-
3.	अतिरिक्त अर्हता अंकन शुल्क	₹ 1000/-
4.	द्वितीय/संशोधित प्रति	₹ 1000/-

उपरोक्त आदेश/शुल्क दिनांक 10.08.2024 से लागू होंगे।

(नर्वदा गुसाईं)
रजिस्ट्रार

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मा0 अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार।
2. मा0 अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. लेखा लिपिक, भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड।
5. सूचनापट/गार्ड फाईल/पटल सहायक भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड/वेबसाईट।

(नर्वदा गुसाईं)
रजिस्ट्रार